मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 22, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामकिशोर शुक्ल, बच्चन नायक, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना में पदस्थ एक रेंजर द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, श्री गोपीकृष्ण नेमा, श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रतवा के निकट पुलिस द्वारा डकैतों से नकली मुठभेड़ बताकर तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य, सतना जिले के पंजीयन कार्यालय में अनियमितताओं से शासन को हो रही क्षति की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, गौरीशंकर बिसेन, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरोद थाने के उप निरीक्षक द्वारा एक व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शंकरप्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मौथी के पास गड़बोरी नदी पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने ;
(ख) ग्राम पलेरा स्थित सिंचाई तालाब का लटबन्ध बनाये जाने ; तथा
(ग) ग्राम कपासी व मवई के बीच बिलखनी नदी पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने ;

(2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) चन्दन पिपलिया-प्रतापगढ़ मार्ग का डामरीकरण कराने तथा तेंदोनी नदी पर पुल बनाये जाने ;
(ख) उदयपुरा स्थित महाविद्यालय में बी.काम. एवं एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने ; तथा
(ग) उदयपुरा स्थित महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति एवं महाविद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने ;